04.7.22 पत्रावली पेश। प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी को खुले न्यायालय में जोर-जोर से आवाजें लगाने पर भी उपस्थित नहीं। अतः यह प्रार्थना पत्र अग्रिम हाजरी व अग्रिम पैरवी में इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली हाजिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना